

Office of the MOEP (C)
RECEIVED
12 FEB 2019
DY. NO. 286489/M09/19

संख्या 5-2-19
आचार्य विद्यापीठ
अहमदाबाद
2019
33 35 15

1903 S-2-19
407 815928

આચાર્ય વિદ્યાપીઠ

USA
P.C.L.

આચાર્ય વિદ્યાપીઠ
અહમદાબાદ

- (1) આચાર્ય વિદ્યાપીઠ અહમદાબાદ
- (2) આચાર્ય વિદ્યાપીઠ અહમદાબાદ
- (3) આચાર્ય વિદ્યાપીઠ અહમદાબાદ
- (4) આચાર્ય વિદ્યાપીઠ અહમદાબાદ
- (5) આચાર્ય વિદ્યાપીઠ અહમદાબાદ
- (6) આચાર્ય વિદ્યાપીઠ અહમદાબાદ
- (7) આચાર્ય વિદ્યાપીઠ અહમદાબાદ
- (8) આચાર્ય વિદ્યાપીઠ અહમદાબાદ
- (9) આચાર્ય વિદ્યાપીઠ અહમદાબાદ
- (10) આચાર્ય વિદ્યાપીઠ અહમદાબાદ

આચાર્ય વિદ્યાપીઠ અહમદાબાદ

આચાર્ય વિદ્યાપીઠ અહમદાબાદ

12-02-19

આચાર્ય વિદ્યાપીઠ અહમદાબાદ

D.S.K.R.T.I.

આચાર્ય

Notes

Handwritten signature

BUNIVAAD

PAGE NO. / /

DATE: / /

US (ART)

1. श्रीमान प्रधानमंत्री जी, नई दिल्ली

2 श्रीमान केंद्रिय विजली मंत्री, नई दिल्ली

3 श्रीमान मुख्यमंत्री राजो सरकार, जयपुर

4 श्रीमान उर्जा मंत्री राजो सरकार, जयपुर

5 श्रीमान जिला कलेक्टर, जिला झुंझुनू

6 श्रीमान तहसीलदार महोदय, बुहाना जिला झुंझुनू

विषय- बार्ड-भिवानी 400 के.वी ट्रांसमिशन लाईन से फसल की क्षतिपूर्ति कम देने व भूमि की मार्केट किमल कम होने पर मुआवजा नहीं देने बाबत।

महोदयजी,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि बार्ड जिला झुंझुनू (राजो) से भिवानी (हरि0) 400 के.वी विजली की लाईन का पोल 30/8 हमारे खेत खसरा 70 528,529 ग्राम नावला तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राजो) में गाड़ा गया है।

श्रीमान जी उक्त पोल को गाड़ने हेतु कम्पनी ने तीन बार सर्वे किया पोल के निशान लगाये पोल की चारों लेन के लिए भूमि में खूटीया गाड़ी गई बाद में खड़े खोदकर पोल की लेन लगाई गई जिससे हमारे फसल नुकसान हुआ कम्पनी ने हमें 25108 रुपये दिये जबकि नुकसान 50000 रुपये का हुआ। अतः कमी 25 हजार रुपये कम दिये।

सरसों फसल के बाद हमारे खेत में गवार की फसल बोई गई हमारे खेत में खादे गये गाड़ी के कारण बर्सात का पूरा पानी बहकर खेती में भूमि के नीचे चला गया और हमारी फसल सूख गई जिससे हमारे गवार की फसल को 50 हजार रुपये का नुकसान हुआ और हमारे को कोई क्षतिपूर्ति नहीं दी।

गवार की फसल के बाद हमने खेत में चनों की फसल बोई गई इस फसल को कम्पनी द्वारा पूर्ण रकबा 0.39 है0 में नुकसान पहुँचाया और हमारे को 42441 + 6195 कुल 48636 रुपये के दो चैक दिये जबकि हमारी फसल का 60636 रुपये का नुकसान हुआ। अतः कमी 12000 रुपये की रही।

फ़ोन नं०- 9636062351, 9462259313

तहसील बृहाना जिला झिन्झी (राज०)

ग्राम- नावला, पोस्ट- पचोरी खूद

कार्लोसम, बलवान सिंह पुत्रान स्थानाराम

प्राणी

प्रतिनिधि:- प्रबंधक 400 क.वी ट्रांसमिशन लाईन कैम्प पचोरी बड़ी को प्रेषित कर
निवेदन है कि हमारी उपरोक्त समस्या का समाधान व सरकार व उद्योग
अधिकारियों का जबाब नहीं आने तक हमारे खेत में मड़े जैसे पोल पर
तार लगाने की कार्यवाही नहीं करे अन्यथा विवाद हो जायेगा।

फ़ोन नं०- 9636062351, 9462259313

तहसील बृहाना जिला झिन्झी (राज०)

ग्राम- नावला, पोस्ट- पचोरी खूद

कार्लोसम, बलवान सिंह पुत्रान स्थानाराम

प्राणी
09/07/18
नं० 4-2-2018

कृपया
09/07/18
नं० 4-2-2018

श्रीमान जी सभी सरकारे कार्रकार के हित की बात करती है हित की बातों
को हकीकत में बदलिये और शीघ्र जांच कराये और भीम की मार्केट वैल्यू कम
होने का मुआवजा दिलवाये और कार्रकार को वकीलों और कोर्ट कचेरियों के
साथकर से बचाइये और भीम का उचित मुआवजा दिलवाया जावे।

श्रीमान जी सबसे अधिक नुकसान हमारे को हमारे खेत में पोल गड़ने से
भीम की मार्केट वैल्यू एक दम बहुत कम हो गई। हमारा खेत गांव की आबादी
से 500 मीटर दूर है। पोल भी अन्य पोलों से भिन्न प्रकार का है। पोल के
कारण आज हमारे खेत को खरीदने वाला कोई नहीं है इस पोल से हमारे को
10 लाख रुपये का नुकसान हो गया है जिसकी भरपाई की जावे इसका
मुआवजा नहीं होने पर प्राणी को कोर्ट की शरण लेनी पड़ेगी।



जमाबन्दी (खंड/खतौली) (प्रतिलिपि)

पृष्ठ संख्या :- 1 of 1
 पृष्ठ संख्या :- 1 of 1
 पृष्ठ संख्या :- 1 of 1

ग्राम का नाम :- गावडी
 पटवार हकका :- पट्टीखुट्ट
 ग्रामीण लि. क्षेत्र :- पट्टीखुट्ट
 बहलील :- बहलील
 जिला :- बहलील
 संभव :- 2075 - 2078
 मौजदार का नाम :- राज.सरकार
 क्षेत्रफल की कुकड़ :- हैदर
 खता संख्या नया :- 71
 खता संख्या पुराना :- 14

कारनकार का नाम/पिता का नाम जति निवास के पते सहित :-

(1) कारनकार पुर खानाकारन हिसार- 1/2 जति- अहीर(पादर) सा. देह आंदार

(2) कारनकार पुर खानाकारन हिसार- 1/2 जति- अहीर(पादर) सा. देह आंदार

हक और हकिया खता पट्टीखुट्ट

खता संख्या	क्षेत्रफल	मौज	हकका शर्त	संभव खता	संभव	अन्य प्रकार के हक में शामिल	अन्य प्रकार के हक में शामिल	प्रतिलिपि
------------	-----------	-----	-----------	----------	------	-----------------------------	-----------------------------	-----------

236	0.2500	बायली	1 0.2500	0.00				
242	0.1600	बायली	1 0.1600					
278	0.1000	बायली	1 0.1000					
389	0.1800	बायली	1 0.1800					
463	0.3400	बायली	1 0.3400					
528	0.2200	बायली	1 0.2200					
529	0.1700	बायली	1 0.1700					
587	0.1500	बायली	1 0.1500					
कुल खतर	8		1.5700	1.5700				

यह खत खत गावडी की जमाबन्दी के तहत है।

यसका उपरोक्त किसी भी न्यायालय में दाखल के रूप में नहीं किया जा सकता है।

प्रतिलिपि जारी करने की तिथि :-

4-Feb-2019

NIG

श्री. ए. सुब्रह्मण्यम् (श्री. सुब्रह्मण्यम्)

48999
(अभिप्रेत)
2014/07

03 पोल गार्डने में कारखाने की मूल्य खसरा न.528 व 529 रकबा 0.39 हैक्टर है जो गांव के आबादी और स्कूल से लगभग 500 मीटर दूरी पर है। गांव के पास होने से इस मूल्य की मार्केट कीमत अधिक है। लेकिन पोल गार्डने से इस मूल्य का आज कोई खरीददार नही है। अतः कारखाने का 10 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। कम्पनी ने मूल्य का कोई मुआवजा नही दिया गया है। अतः सरकार और उच्च अधिकारियों से निवेदन है। कि कारखाने का लॉन्गम, बलवानसिंह मिश्रा ध्यानारामण के आर्थिक नुकसान की भरपाई की जाने का कस्ट करे।

02 पोल 30/8 की खुदाई में नीचे बजरी का मिक्स आ गया और वर्धन का पूरा पानी पोल की चारों तरफ मूल्य के नीचे चला गया और कारखाने की चारों तरफ फसल सुख गई। कम्पनी ने इस फसल की कोई क्षति नहीं दी। जबकि नुकसान पचास हजार रुपये तक का हुआ था। अतः पचास हजार रुपये दिए जाने चाहिए।

01 राजस्व ग्राम नावला की मूल्य सरसो और चने के लिए प्रसिद्ध है। बिजली खोटे गए हैं। मशीन काफी परिया में घुमाने के बाद खुदाई करती है। मिट्टी का ऊपर से पूर्ण बना देती है। और नीचे की मिट्टी को कठोर जमा देती है। इस मूल्य को पानी करने के लिए कारखाने को लाक हल, ट्रैक्टर द्वारा खोदाई करनी पड़ती है। जिसका किराया अधिक होता है। पोल खन करने के लिए कम्पनी ने पोल की पंगल को पूरी 0.39 हैक्टर में बिछाए गई थी। और ट्रैक्टर द्वारा खोदी गई है। अतः कारखाने की काफी नुकसान हुआ है। कम्पनी ने सरसो की फसल की क्षति पूर्ण 25108 रुपये दिए हैं जो कम है और नुकसान 50108 रुपये का हुआ है। अतः 25000 रुपये और दिए जाने चाहिए। कम्पनी ने चने की फसल की क्षति पूर्ण 42441+6195 कुल 48636 रुपये दिए हैं। जबकि नुकसान 60636 रुपये का हुआ है। अतः 12000 रुपये और दिए जाने चाहिए।

रिपोर्ट सरपंच ग्राम पंचायत पर्वरी खुर्द, तह.बुधना जिला-झुंझार (राज.)

To, Kallu Ram and Gollan Singh, Sheeravathi

M-61-94639593

Dear Sir/Madam

In exercise of the Power vested with M/s. NRSS-XXXVI Transmission Limited under the Indian Telegraphic Act, 1885, section 19 to 19 conferred by S-164 of the Electricity Act, 2003, as amended up to date by the Ministry of Power (GOI), New Delhi, vide Gazette notification dated 16 Oct, 2014, notice is hereby given that 400 KV DC Transmission Line from RRVNL, Babai to PGCL, Bhivani through your property noted under. While due care will be taken to minimize the damage to standing trees and crops, certain minimum unavoidable damage is likely to take place during construction of the proposed line. The trees so felled will be handed over to you or your authorized representative. The compensation for the yield component of the trees so felled and the crop damaged will be suitably paid to you as per the norms of revenue department.

Name of the Owner: Kallu Ram and Gollan Singh
 Name of the Village: Sheeravathi
 Name of the Mandal/Tehsil: Bukema
 Name of the District: Thurthum

Sl. No.	Location/Section	Name of Crop/Tree	Number with	Area affected	Damage to Tree/Crop/Land
30/8					

Received the notice (दिनांक 13/11/18)

Signature (कल्लु राम गोल्लन सिंह)

Signature of Owner/Authorized Representative

For NRSS-XXXVI Transmission Limited (नर्स-xxxvi ट्रांसमिशन लिमिटेड)

Construction of 400 KV DC Transmission Line from RRVPL Babal to PGCL, Bhiwan
 (Scheme Sanctioned and approved by Government of India)
 400 वी. टोलिवान बाबल रार. रार. वी. वी. प. व. ल. से वी. वी. वी. रार. रार. रार. रार. रार.

Book No. 16 NOTICE UNDER TELEGRAPHIC ACT, 1885
 (पारत सरकार द्वारा पारत योजना)

to Babal Singh & Sons, New Tehsil
 Date: 21/11/08
 No - 9462259813

In exercise of the power vested with M/s. NISS-XXXVI Transmission Limited under the Telegraphic Act, 1885 Section 10 to 19 contained in S. 164 of the Electricity Act, 2003, as amended up to date by the Ministry of Power (GOI) New Delhi, vide Gazette notification dated 16 Oct 2014, notice is hereby given that 400 KV DC Transmission Line from RRVPL Babal to PGCL, Bhiwan through your property noted under. While due care will be taken to minimize the damage to standing trees and crops, certain minimum unavoidable damage is likely to take place during construction of the line and line. The trees so felled will be handed over to you or your authorized representative. The compensation for the yield component of the trees so felled and the crop damaged will be suitably paid to you as per the norms of revenue department.

Name of the Owner

Survey No.

Name of the Village

Name of the Mandal/Tehsil

Name of the District

Sl. No.	Location/Section	Name of Crop/Tree	Number with D.L.H. for Tree	Area affected	Damage to Tree/Crop During (Date/Time)

Received the notice (दिनांक पर) 8-11-18
 Signature of owner/authorized Representative
 Signature (हस्ताक्षर)
 NISS-XXXVI Transmission Limited

Construction of 400 KV DC Transmission Line from RVPNL Babai to PGCIL, Bhiwani (Scheme Sanctioned and approved by Government of India)

400 क. वी. ट्रांसमिशन लाइन बाबई और बी. वी. वी. नगर, बी. वी. वी. सी. और वी. वी. वी. सी. (योजना संशुद्धित और मंजूर की गई है भारत सरकार द्वारा)

NOTICE UNDER TELEGRAPHIC ACT, 1885
 Sheet No. 50
 Book No. 16

Kishan Singh
 No. 963662351
 Date: 21/10/18
 Bhiwani

Dear Sir/Madam
 In exercise of the power vested with MRS. NRSS-KXXVI Transmission Limited under the Telegraphic Act, 1885 section 10 (b) read with S. 164 of the Electricity Act, 2003, as amended up to date by the Ministry of Power (GOI), New Delhi, vide Gazette Notification dated 06.02.2014, notice is hereby given that 400 KV DC Transmission Line from RVPNL Babai to PGCIL, Bhiwani through your property noted under. While due care will be taken to minimize the damage to standing trees and crops, certain minimum unavoidable damage is likely to take place during construction of the line. The trees so felled will be handed over to you or your authorized representatives. The compensation for the yield component of the trees so felled and the crop damage will be promptly paid to you as per the norms of respective department.

Name of the Owner
 Name of the Village
 Name of the Mandal/Tehsil
 Name of the District

Name of the Crop/Tree
 Number of trees
 Area affected
 Name of the Crop/Tree
 Number of trees
 Area affected

Name of the Crop/Tree
 Number of trees
 Area affected
 Name of the Crop/Tree
 Number of trees
 Area affected

Received the notice (दिनांक 21/10/18)
 Signature (हस्ताक्षर)
 Signature of authorized Representative
 For NRSS-KXXVI Transmission Limited